



ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) वधियक 2022

प्रलिस के लयः

ऊर्जा संरक्षण अधनलडड 2001, ब्यूरो ऑफ एनरुडी एफशलररसी, गुरीन हाइडुरोजन, कारुबन करुडर, बैटरुी सुवैपगल डॉलरसी, गुरीन डॉनुड, UPSC CSE PYQ।

डेनुस के लयः

ऊर्जा संरक्षण (संशुधन) वधियक 2022 और इसके उदुदेशुड।

करुडर डें करुडु?

हलल ही डें वदुडुत डनुतरलडड ने [लुकसडर](#) डें **ऊर्जा संरक्षण (संशुधन) वधियक 2022** डेश करुडु है।

- वधियक डें कारुबन डरुडत डुरडरणडुतर डरुडी करके सुवकरुड ऊर्जा के उडुडुग कु डुरुतसलहलत करुने डैसे डरुवरुतनुु कु डेश करुने के लडु [ऊर्जा संरक्षण अधनलडड 2001](#) डें संशुधन करुने कल डुरसुतलव है, डरुसु अंतडड डरु वरुष 2010 डें संशुधलत कडुडु गडु थल।

ऊर्जा संरक्षण अधनलडड 2001 के डुरलवधलनः

- ऊर्जा दकषुतल डलनदंडः**
 - डह केंदुर कु 100 कललुवलत लुड से अधकल डल 15 कललुवलत-एडुडुडर (KVA) से अधकल कल सुवदलतुडक डलंग वलले उडुकरणुु, औदुडुगकल उडुकरणुु और इडरलरुु के लडु ऊर्जा दकषुतल के डलनदंडुु एवं डलनकुु कु नरुदडुषलत करुने कल अधकलर डेतल है।
- ऊर्जा दकषुतल ब्यूरोः**
 - ऊर्जा संरक्षण अधनलडड, 2001 के तहल [ऊर्जा दकषुतल ब्यूरो \(BEE\)](#) कल सुथलडनल कल गुरु।
 - वरुष 2010 के संशुधन ने ऊर्जा दकषुतल ब्यूरो के डलहलनदलशक के करुडुडकल कु तलन से डदुडकर डलडु डलल कर दडुडु।
 - डह ब्यूरो वडुडलनुन उदुडुगुु कल डरुडलल खडुत कल नगरलनल और सडुडुकषुड करुने वलले ऊर्जा लेखल डुरीकषुकुु के लडु आवशुडक डुगुडुतलरुु नरुदडुषलत कर सकतल है।
- ऊर्जा वुडलडरः**
 - सरकर उन उदुडुगुु कु [ऊर्जा डरुडत डुरडरण डुतर](#) डरुडी कर सकतलु है कु अडुनल अधकलतड आरुवतलतल ऊर्जा से कडु खडुत करुते है।
 - हललुुकल, डह डुरडरण डुतर उन गुरलहकुु कु डेकर डल सकतल है कु ऊर्जा वुडलडर के लडु एक दलुुके हेतु अडुनल अधकलतड अनुडत ऊर्जा सीडल से अधकल खडुत करुते है।
- नरुदडुषलत डलनदंडुु के अनुरुडु हुने तक नडुधः**
 - अधनलडड केंदुर कु कलसी वरुषल उडुकरण के नरुडरण, डरुकरुी, खरुीदलर आडुतल कु डुरतडुडुधलत करुने कल अनुडतलदुतल है डल डलक कडुडु हह डलहलने/एक वरुष डलहले डरुडी कडु गए नरुदडुषलत डलनदंडुु के अनुरुडु न हु।
- दंडः**
 - अतरुडकलतल ऊर्जा कल उडुडुग करुने वलले उडुडुकुतलरुु कु उनकु अधकल खडुत के अनुसलर दंडुतल कडुडु डलणल।
 - केंदुर डल रलडुड सरकर दुरलर डलरतल ऐसु कलसी डु आदुश के खलललड कलसी डु अडुल कल सुनवलरुई ऊर्जा अधनलडड, 2003 के तहल डलहले से सुथलडतल अडुललुड नुडलडलधकलरुण दुरलरल कल डलणुी।

अधनलडड डें डुरसुतलवतल संशुधनः

- अकषुड ऊर्जा कल हसुसलः**
 - औदुडुगकल इकलडुुु डल कलसी डुरतडुषलतलन दुरलरल उडुडुग कल डलने वललुी **नवुीकरणुीड ऊर्जा** के नुडुनतड हसुसे कु डुरडलषतल करुनल।
 - डह खडुत सुीधे अकषुड ऊर्जा सुुरुत से डल डुरुकषु डुड से डलवर गुरडल के डलधुडड से कल डल सकतलु है।
- सुवकरुड ऊर्जा के लडु डुरुतसलहनः**

- कार्बन बचत प्रमाणपत्र जारी कर स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के प्रयासों को प्रोत्साहन देना ।
- नज्दी क्षेत्र को जलवायु कार्रवाई के लिये आकर्षित करने हेतु स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के लिये कार्बन क्रेडिट जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहनों पर विचार करना ।
- **संबंधित संस्थानों को सुदृढ़ बनाना:**
 - मूल रूप से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जैसे अधिनियम के तहत स्थापित संस्थानों को सुदृढ़ बनाना ।
- **ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना:**
 - उद्योगों द्वारा उपयोग किये जाने वाले जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने में मदद करना ।
- **संरक्षण मानकों के दायरे में वृद्धि:**
 - स्थायी आवासों को बढ़ावा देने के लिये ऊर्जा संरक्षण मानकों के तहत बड़े आवासीय भवनों को शामिल करना ।
 - वर्तमान में केवल बड़े उद्योग और उनके भवन ही अधिनियम के दायरे में आते हैं ।

प्रस्तावित संशोधनों के उद्देश्य:

- जीवाश्म ईंधन के माध्यम से भारत की बजिली की खपत को कम करना और इस तरह देश के **कार्बन फुटप्रिंट को कम** करना ।
- भारत के **कार्बन बाज़ार** को विकसित करना और **स्वच्छ प्रौद्योगिकी** को अपनाने को बढ़ावा देना ।
- **राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारित योगदान (NDCs)** को पूरा करना, जैसा कि पेरिस जलवायु समझौते में इस लक्ष्य (वर्ष 2030 के पहले) का उल्लेख किया गया है ।

भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताएँ:

- भारत ने **पेरिस जलवायु समझौते** के तहत NDCs के हिससे के रूप में वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33-35% तक की कमी लाकर इसे वर्ष 2005 के कार्बन उत्सर्जन स्तर पर लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है ।
- भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म-ईंधन ऊर्जा संसाधनों से अपने बजिली के 40% से अधिक हिससे का उत्पादन करने का भी वादा किया है ।
- वर्ष 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 550 मीट्रिक टन (Mt) तक कम करने के लिये, भारत ने अपने वृक्ष और वनावरण को बढ़ाकर 2.5 -3 बिलियन टन कार्बन सकि के नरिमाण के लिये प्रतिबद्धता व्यक्त की है ।
- नवंबर, 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 में भारत ने NDCs को संशोधित किया । **भारत के पाँच नए जलवायु लक्ष्य हैं:**
 - वर्ष 2030 तक इसकी **गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW** तक बढ़ाना
 - अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से भारत की **50% बजिली की मांग** को पूरा करना
 - भारतीय अर्थव्यवस्था की **कार्बन तीव्रता को 45%** तक कम करना ।
 - वर्ष 2021 से 2030 तक भारत के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करना ।
 - वर्ष 2070 तक देश शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना ।

भारत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उपाय:

- **घरेलू सौर वनरिमाण:**
 - वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार ने भारत में घरेलू सौर वनरिमाण को बढ़ावा देने के लिये 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं ।
- **बायोमास को-फायरिंग:**
 - ताप वदियुत संयंत्रों में को-फायरिंग के लिये 5-7% बायोमास का उपयोग ।
- **ईंधन सममशिरण:**
 - ईंधन सममशिरण को बढ़ावा देने के लिये मशिरति ईंधन पर 2 रुपये/लीटर का अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा ।
- **बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी:**
 - स्वच्छ परिवहन प्राप्त करने के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु एक नई बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी तैयार की जाएगी ।
- **ग्रीन बॉण्ड:**
 - ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये पूँजी जुटाने हेतु सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव वाली परियोजनाओं को नधिप्रदान करने हेतु 'ग्रीन बॉण्ड' जैसे नशिचति वत्तित्तीय तरीके से आय का सृजन करना । ऐसे सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड का उपयोग ऐसी जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं में किया जा सकता है, जनिमें नज्दी वत्तित पोषण की कमी होती है ।

स्रोत: द हिंदू